#### New Delhi, the 5th June, 2008

- S.R.O. 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Corps of Electronics and Mechanical Engineers (Industrial) Recruitment Rules, 2006, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Corps of Electronics and Mechanical Engineers (Industrial) Recruitment Amendment Rules, 2008.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Corps of Electronics and Mechanical Engineers (Industrial) Recruitment Rules, 2006, in the Schedule, against the posts at serial numbers 1 to 40 under column (13) item number (3) and the entry relating thereto in so far as it relates to the Co-opting member shall be omitted.

[F. No. B/03391/RR/EME Civ.-2/289/RR/D(Apptts.)/08]

C. J. JOSE, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India Part-II, Section-4, vide No. SRO 29 dated the 18th February, 2006.

.(वित्त प्रभाग)

#### नई दिल्ली, 6 जून, 2008

का. नि. आ. 54.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1997 को, उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा लेखा विभाग में ज्येष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातु:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग (ज्येष्ठ लेखा अधिकारी) नियम, 2008 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. नियंत्रण प्राधिकारी.—पद को रक्षा मंत्रालय (वित्त), के अधीन रक्षा लेखा महानियंत्रक के द्वारा प्रशासनिक रूप से नियंत्रित किया जाएगा।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि .— उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।
  - 5, स्थानांतरण का दायित्व, --ज्येष्ठ लेखा अधिकारी भारत में कहीं भी स्थानांतरण के दायित्वाधीन होंगे।
  - 6. निरर्हताएं :-
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
    - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 7. नियम शिथिल करने की शक्ति .—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर संकेगी।
- 8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिन पर सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाल गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसृचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

र्रा प्रती सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L; (N) 04/0007/2003-05



# J. J. J.

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

> साप्ताहिक WEEKLY



ਜਂ. 12] No. 12] नई दिल्ली, जून 15-जून 21, 2008, शानवार /ज्येष्ठ 25-ज्येष्ठ 31, 1930

NEW DELHI; JUNE 15—JUNE 21, 2008, SATURDAY/JYAISTHA 25—JYAISTHA 31; 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रीक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 मई, 2008

का. नि. आ. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 30 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सीय सेवाएं (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1980 की, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, सशस्त्र बल चिकित्सीय सेवा, महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय के अधीन निम्नतर विरचनाओं में समूह 'घ' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम वनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल चिकित्सीय सेवा महानिदेशालय समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2008 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
  - 2. लागू होना.—ये नियम इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्जी की पद्धित, आयु-स्नेमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं, प्रत्येक पद की ज्येष्ट्रता डिपो/स्थापन वार रखी जाएगी।
  - 5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या . .
    - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

(203)

2171 (31/2008

	5.	ž s	3	अनुसूची	100 S 1000 S	t <b>a</b> a	36 (*)
पद्का नाम	पदों की 'वर्गी	करण .	वेतनमान	चंयन अथवा	सेवा के अतिरिक	त वर्षों .	सीधे भर्ती किएं जाने
	संख्या		· d , s	अचयन पद	,का लाभ स्वीकार		व्यक्तियों के लिए अ
		S 193			अथवा नहीं		सीमा
1 ;	2	3	4	5	б.		7 .
. ज्येष्ठ लेखा	1293 * साध	गरण केन्द्रीय	8000-275-	. गैर-चयन	ं लागू नहीं होता	10.5	लागू नहीं होता
अधिकारी	(2007) सेव		13500 ক.			12	
		मूह 'ख')		*		¥	
e u		पत्रित '		786 8			.28
	ज्येष्ठ लेखा अन	नुसचिवीय					
	अधिकारी की	7	•	* **			
× .,	श्रेणी में पदों		**	*	***	** ***	§ *
*	का संयुक्त संख्याबला		:	* *	1 26.		*8
	सङ्गावल । अभिकृतम १०%		185			94 (94)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
*0	को ज्येष्ठ लेखा.			ja.			9.0
:	आधिकारी की		***	a .			80 (A)
• .	श्रेणी में संचालित	0 <b>.0</b> 0	a 00		FA THE SIL	2 4) <sup>(8</sup> 3 <b>4</b> 7	* @ *
	किया जाए।	•	4.		, . <b>W</b>		* s* is
(a)			1 1	<del></del>	· · · · ·	- <del></del>	·····
ोधे भर्ती किए जा	ने वाले व्यक्तियों	सीधे १	नर्ती किए जाने व	वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा क	ो अवधि, यदि	कोर्र हो
लिए अपेक्षित र			ए विहित आयु		ગાલાવા મ	। जनान, नान	नगर्छ। .
। ईताएँ			रं, प्रोन्तत व्यवि		5 Su		3 30
7	## ***		ूं होंगी या नहीं		1		**
. 8		w 1000)					
न् . ० लागू नहीं होता	<del></del>	•	9 लागू नहीं होता	•		10 · नागू नहीं होता	
tu t tet etti		<del></del>	CIT 101 GIVI			11. 161 61/11	
					÷ ÷		y , *\$
	भर्ती सीधे होगी या ान द्वारा तथा विभिन् की प्रतिशतता				तियुक्ति/स्थानांतरण् प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति,		ो दशा में वे श्रेणियां हया जाएगा
. 11		3			7	12	*
निति द्वारा नहीं ह	ोने पर प्रतिनियुक्ति ह	ारा •					में लेखा अधिकारी
	(98)		*	जिन्होंने उर	त श्रेणी में 2 वर्ष क	र्ति नियमित सेव	त्रा की है।
	<b>*</b> 3		ž.				तंबंध में, जिन्होंने अ
5	e * 9	Ñ.					के लिए विचार किया
							पंध में भी विचार वि
			(Q)				ो गई ऐसी अर्हक/पा
¥			3	.सवा, अपा न	क्षत अहक/पात्रता र	त्राक्ष आर्थ संज्ञान को क्लेक्ट	से अधिक से या दो उन्होंने अपने ऐसे का
		21/4					उन्हान अपन एस का सेवा पहले ही पूरी
							्सवा पहल हा पूरा लए अपनी परिवीक्षा
					ला उण्पतर श्रणा न लतापूर्वक पूरी कर		वद् जाना नात्नाचा
				प्रतिनियुवि		Sir Girt	(1) (i)
	0.€ <		3 <del>4</del>			· Language	ों सहित केन्द्र सरकार 
				ावाभन्न सः अधिकारी		क आवक्॥स्य	ं लाहत कन्द्र सरकी
(1)				OHANG.	<u> </u>		
		X.				12	
•	<b>₽</b> 6		V#	*		77 <sub>(8)</sub>	(100) GR (0)
. •.				36 36	- 1 <sup>12</sup> · 11 · ·	*!!	
¥8.				*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	x.:	\$1

...

12

- (क) (i) मूल काडर/विंभाग में नियमित आधार पर सदुश पद धारी
- (ii) मूल काडर/विभाग में 7500-12000 रुपए या समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् समर्पित ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा; या
- (iii) मूल काडर/विभाग में 7450-11500 रुपए या समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात समर्पित ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा; तथा ..
- . (ख) वित्त/बजट/लेखा शाखा में तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो :-नोट: फीडर वर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति के लिए तैयार हैं. प्रतिनिक्ति पर नियक्ति पर विचार के लिए पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार, प्रतिनियक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्ति के द्वारा नियक्ति के विजार के लिए पात्र नहीं होंगे।

केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग या उसी में तियुन्ति से त्रंत पूर्व अन्य संवर्गबाह्य पद में प्रतिनिवित की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि समान्यत: तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आय्-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में आयोग से प				नोक सेवा
13	500	•		14		
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के लिए विचार करने । रक्षा लेखा महानियंत्रक/ज्येष्ठतम रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक 2. रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक	के लिए):- -अध्यक्ष -सदस्य	संघ लोक से नहीं हैं।	वा. आयोग	से परा	मर्श करना	आवश्यक
3. रक्षा लेखा संयुक्त महानियंत्रक (प्रशासन)	–सदस्य					£
<ol> <li>दो रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक/रक्षा लेखा नियंत्रक/एकीकृत वित्तीय सलाहकार (जिसमें से एक अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित होना चाहिए)</li> </ol>	-सदस्य ·				6 8	)/ਜੀ/200

रमेश कुमार, निदेशक (वित/समन्वय)

#### (FINANCE DIVISION)

### New Delhi, the 6th June, 2008

- S.R.O. 54. In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Accounts Department (Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 1997 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Accounts Officer in the Defence Accounts Department namely :-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2008.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in Columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Controlling authority.—The post shall be administratively controlled by the Controller General of Defence Accounts under the Ministry of Defence (Finance).

- 4. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
  - 5. Liability for transfer.—The Senior Accounts Officers shall be liable to transfer anywhere in India.
  - 6. Disqualifications.—No person,—
    - (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rule.

- 7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Expervioemen and any other special caregories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

	. "		SCH	EDULE	jr 14 on v.	
Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible	Age limit for direct recruit
. 1	2	3.	4	5	6	7
1. Senior Accounts Officer	1293* (2007) *(Combined strength of Senior Accounts Officer and Accounts Officer). Post to be operated as Senior Accounts Officer shall	General Central Services (Group 'B') Non- Gazetted Ministerial	Rs. 8000- 275-13500	Non-selection	Notapplicable	Not applicable
	be not exceeding 80	)%"				4

Educational and other quequired for direct recrui		Whether age and educa qualifications prescribed recruits will apply in the of promotees	for direct	Period of Probation, if any		
8 .		9		10		
Not applicable	1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	Not applicable		Not applicable		

2174 GHO8-6

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

 $\mathcal{D}^{2}$ 

100

0.5

102

.

 $\mathbb{T}_{\mathbb{R}}$ 

: 4

111

Promotion failing which by deputation.

Promotion:

Accounts Officer in the Pay scale of Rs. 7500-12000 with two years

regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Officers of the Greanised Accounts Service of the Central Deputation:

(a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/

(ii) With 'two years' regular service in posts in the pay scale of Department, or Rs. 7500-12000 or equivalent in the parent cadre/Department; or

(iii) With three years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 74500-11500 or equivalent in the parent cadre/Department, and

(b) Possessing three years experience in Finance/Budgeting/

Note: The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for

Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other Organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of

applications.

application	s	Light IIPSC is to be
		Circumstances which UPSC is to be consulted in making recruitment
tion Committee exists, what is its		14 Public Service
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition  13	ng .	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Consider)  Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Consider)  Server Accounts/Senior	-Chairman	.d
Controller General of Detence	_Member	
most rate	_Member	To the second of
3. Joint Controller	_Member	The second secon
<ol> <li>Joint Controller General Services</li> <li>(Administration)</li> <li>Two Principal Controllers of Defence Accounts/Integrated Financial Controller of Defence Accounts/Integrated Financial Controller of Defence Accounts/Integrated Financial Controller of Whom should belong to Scheduled Adviser (One of whom should belong to Scheduled Tribe)</li> </ol>		[F.No.F9(1)/C/2 RAMESH KUMAR, Director (Finance/C
Adviser (One of whom such Adviser (One of wh	t <b>.e</b> b	RAMESH KUM
	# F	5 5

#### (FINANCE DIVISION)

#### CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th January, 2018

- S.R.O. 7.—In exercise of the powers conferred by the provisio to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Recruitment Rules to the posts of Senior Accounts Officer in the Defence Accounts Department, 2009.
- 1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department (Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. SRO NO. 54

In Column No.3 of the schedule

For

"General Central Service Group "B" Non-Gazetted, Ministerial"

Read

"General Central Service Group "B" Gazetted, Non-Ministerial"

[F. No. F 9(1)/C/2006]

R. K. KARNA, Jt. Secy. & Addl. FA

Note: The principal rules dated 6<sup>th</sup> June, 2008 was published in Gazette of India, Part-II, Section 4 vide number S.R.O. 54 on the 21<sup>st</sup> day of June, 2008.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by MARESH SLIKER, Date: 101E-02.27 22-42:24 +05'30'